



2026:AHC:4382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 44711 सन् 2025

सम्सू

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अहमद फरहान, हया रिज़वी

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री हया रिज़वी, तथा श्री यज्ञवल्क पाण्डेय, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह ज़मानत आवेदन अभियुक्त - आवेदक सम्सू की ओर से अवर न्यायालय में विचारण की लम्बितता के दौरान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 (3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के अन्तर्गत थाना खेकड़ा, जिला बागपत में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 333 सन् 2025 में ज़मानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 30.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 03 दिनों की देरी से दर्ज की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 एवं 183 के अन्तर्गत पीड़िता के अभिलिखित बयान में विरोधाभास है। इस प्रकरण में आरोप-पत्र दिनांक 15.10.2025 को पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उनका कोई आपराधिक इतिहास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय की प्रक्रिया से भागने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक सम्मूह को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
 3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।
- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

08 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)